1. हनुमान राम उर्फ हड़मान राम पुत्र जालाराम, उम्र 29 वर्ष, निवासी खारी, पुलिस थाना सायला, जिला जालौर (राजस्थान)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री गोपालराम डूडी, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट लोक अभियोजक

अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	45/01.04.2024
Police Station, District and State	श्रीबालाजी, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	8/15, 8/29, 8/25 NDPS Act व धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी IPC
Maximum punishment prescribed	कठोर कारावास बीस वर्ष

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	04.04.2024
Total period of custody undergone	01 Years 11 Months 24 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Trial
Total number of witnesses cited in the charge sheet	23
Number of prosecution witnesses examined	01

(D) Criminal Antecedents:-

क्र. सं.	थाने का नाम	एफ.आई.आर. संख्या	अपराध धारा	वर्तमान स्थिति
1.	भाद्राजून	04/2018	8/15 एनडीपीएस एक्ट	जैर ट्रायल
2.	सायला	10/2019	8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	जैर ट्रायल
3.	सायला	158/2019	143,147,342,323 भा.द.सं.	जैर ट्रायल
4.	सिणधरी, बालोतरा	209/2019	341,323,427/34 भा.द.सं.	जैर ट्रायल
5.	सायला	197/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	जैर ट्रायल
6.	सिणधरी, जिला बालोतरा	216/2020	341, 427 भा.द.सं.	जैर ट्रायल
7.	सायला	71/2021	147, 323, 327, 504/149 भा.द.सं.	जैर ट्रायल

क्र. सं.	थाने का नाम	एफ.आई.आर. संख्या	अपराध धारा	वर्तमान स्थिति
8.	कल्याणपुर, जिला बालोतरा	100/2023	8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	जैर अनुसंधान

(E) Previous Bail Applications :-

Court	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर
Case No.	298/2025
Outcome of Case	खारिज

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 27.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त हनुमानराम की ओर से यह **अंतरिम जमानत** प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत दाण्डिक मूल सेशन प्रकरण संख्या 89/2024 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम राकेश यादव वगैरह (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 45/2024, पुलिस थाना श्रीबालाजी, जिला नागौर) में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। दाण्डिक मूल सेशन प्रकरण संख्या 89/2024 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम राकेश यादव वगैरह की पत्रावली तलब की गई। पुलिस थाना श्रीबालाजी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.04.2024 को 02:39 एएम पर पुलिस थाना, श्रीबालाजी के थानाधिकारी स्वागत पाण्डया को जरिये मुखबिर इत्तिला मिली की एक ट्रक नंबर बीआर 30 जीए 9061 नागौर से बीकानेर की तरफ जा रहा है, ट्रक के अन्दर डोडा-पोस्त हो सकता है, जिसके आगे एक स्वीफ्ट कार नंबर आरजे 21 सीए 4435 चल रही है, यदि तुरन्त ट्रक को रुकवाकर चैक करें तो ट्रक के अन्दर डोडा-पोस्त मिल सकता है, जो इत्तिला विश्वसनीय होने पर मय मुलाजमान व अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप मय प्रिंटर मय ड्रेगन लाइट व रेडियम जैकेट के 02.50 एएम पर पुलिस थाना, श्रीबालाजी के पास एनएच 62 नागौर-बीकानेर रोड सरहद श्रीबालाजी पहुंचकर मुखबिर से प्राप्त इत्तिलानुसार नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी 03:30 एएम पर नागौर की तरफ से एक मारूति स्वीफट कार नंबर आरजे 21 सीए 4435 आती दिखाई दी, जिसको इशारा करके रुकवाया व चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम सफी मोहम्मद व उसको घबराने का कारण पूछा तो बताया कि वह डोडा-पोस्त से भरी ट्रक नंबर बीआर 30 जीए 9061 को एस्कोर्ट करना व ट्रक चालक राकेश यादव को रास्ते में पुलिस नाकाबंदी के बारे में सूचना देना तथा उक्त डोडा-पोस्त से भरी ट्रक उसके पीछे-पीछे आना बताया है। उक्त मोहम्मद सफी को दस्तयाब किया गया है तथा दौराने नाकाबंदी समय 03:50 एएम पर नागौर की तरफ से एक ट्रक नंबर बीआर 30 जीए 9061 आती दिखाई दी, जिसको इशारा करके रुकवाया तो नाकाबंदी स्थल से पहले ही ट्रक चालक ने ट्रक को रोककर ट्रक चालक व ट्रक में बैठा एक अन्य व्यक्ति भागने लगे, जिस पर ट्रक चालक को दस्तयाब किया गया लेकिन ट्रक में बैठा अन्य व्यक्ति भागने में सफल हो गया। ट्रक चालक को नाम पूछा तो उसने अपना नाम राकेश यादव होना बताया तथा भागने वाले का नाम ओमाराम बताया। उक्त ट्रक नंबर बीआर 30 जीए 9061 की नियमानुसार तलाशी लिये जाने पर उक्त ट्रक में कुल 173 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडा-पोस्त

भरा हुआ बरामद हुआ, जिनका वजन करने पर कुल वजन 4622 किलो 250 ग्राम होना पाया गया तथा उक्त ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त चूरा भरकर ट्रक की नंबर प्लेटों व ट्रक में मिले बिल व बिल्टी पर रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 07 जीए 4045 के स्थान पर कूटरचना करके फर्जी व कूटरचित रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 30 जीए 9061 लिखकर परिवहन करता हुआ पाया गया। जिस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मय मौके पर मुर्तिब फर्दात, मुलजिमान व बरामदशुदा अवैध डोडा-पोस्त के थाने पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 45/2024 अन्तर्गत धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में दर्ज की गई। प्रकरण में बाद अनुसंधान दिनांक 27.09.2024 को मुलजिम सफी मोहम्मद के विरुद्ध धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में व मुलजिम राकेश यादव के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व धारा 420, 467, 468, 471, 482, 120 बी भा.दं.सं. के अपराध में व मुलजिम अनवर अहमद उर्फ लड्डन के विरुद्ध धारा 8/25, 8/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 420, 467, 468, 471, 482, 120 बी भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपरोक्त मुलजिमान के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम हनुमानराम व ओमाराम के विरुद्ध धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखा गया। दिनांक 08.10.2025 को मुलजिम हनुमानराम के विरुद्ध जुर्म धारा 8/15, 8/25 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में तितम्बा चार्जशीट पेश की, जिस पर मुलजिम हनुमानराम के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 03.01.2025 को व दिनांक 12.11.2025 को मुलजिमान को उपरोक्तानुसार उपरोक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये, मुलजिमान ने आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 स्वागत पाण्डया के बयान लेखबद्ध किये गये हैं तथा पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की पूर्व में मृत्यु हो रखी है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता अनुदेवी वृद्ध व सख्त बीमार है, जिसका हृदय का इलाज चल रहा है, जिसके दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता की सार-संभाल करने वाला प्रार्थी/अभियुक्त ही है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता के हृदय का ऑपरेशन करवाना अब आवश्यक हो गया है। यदि तुरन्त ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो प्रार्थी/अभियुक्त की माता के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी माता का इकलौता पुत्र है, अन्य कोई प्रार्थी की माता के इलाज ऑपरेशन सेवा करने वाला नहीं है। माता के चैकअप व ऑपरेशन करवाने के लिए प्रार्थी को कम से कम डेढ माह की अन्तरिम जमानत दिए जाने की याचना की जाती है, जिसका माकूल व पर्याप्त कारण रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त अंतरिम जमानत हेतु न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त व आदेश की पालना करेगा। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को डेढ माह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश बाबत् निवेदन किया।

4. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त कुल 08 आपराधिक प्रकरण लंबित है, जिसमें से कुल 03 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं पत्रावली, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि जिस डॉक्टर ने प्रार्थी/अभियुक्त की माता को ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है, उसके बयान लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में कथन किया गया है कि मरीज की पर्ची व जांचे देखकर उसने हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर दिनांक 05.03.2026 को पुनः हॉस्पिटल आने का समय दिया था, परन्तु उक्त दिनांक को वह हाजिर नहीं हुई। प्रार्थी/अभियुक्त की माता के हृदय के ऑपरेशन की कोई तारीख नियत हो, इस तरह का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हो या उसके ऑपरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक तारीख नियत की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2025 को खारिज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त कुल 08 आपराधिक प्रकरण लंबित है, जिसमें से कुल 03 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

7. ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता आदि को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त हनुमान राम उर्फ हड़मान राम पुत्र जालाराम, उम्र 29 वर्ष, निवासी खारी, पुलिस थाना सायला, जिला जालौर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह **अंतरिम** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

9. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

10. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर